न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 115/2019

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1श्रीमती शारदा पत्नी चन्द्राराम जाति जाट निवासी बुटाटी तहसील डेगाना जिला नागौर। 2श्रीमती रूकमणी पुत्री चन्द्राराम पत्नी गोपालराम जाति जाट निवासी बुटाटी तहसील डेगाना जिला नागौर।		1जोरादेवी पत्नी हरलाल 2भैरूराम पुत्र हरलाल 3परमादेवी पुत्री हरलाल 4गीता पुत्री हरलाल 5शारदा पुत्री हरलाल 6मीरा पुत्री हरलाल 7सुमन पुत्री हरलाल 8गुड्डी पुत्री हरलाल 9रामलाल पुत्र आसाराम 10पपूदेवी पुत्री आसाराम 11भंवरी पत्नी जगाराम 12लाडू पुत्री जगाराम 13सुशीला पुत्री जगाराम 14गुट्टी पुत्री जगाराम 15शंकरलाल पुत्र उरजाराम 16परशुराम पुत्र हरलाल जातियान जाट निवासीगण ग्राम बुटाटी तहसील डेगाना जिला नागौर। 17नायब तहसीलदार, सांजू, तहसील डेगाना जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री राम किशोर मुण्डेल अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री श्याम कुमार व्यास अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 8, 12, 14 व 15 की ओर से।
3. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 17 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 05.02.2021

{1}–अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, सांजू द्वारा ग्राम बुटाटी के नामान्तरकरण सं. 318 निर्णय दिनांक 05.04.2018 से असंतुष्ट होकर दिनांक 11.09.2019 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दिनांक 14.10.2019 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 8, 12, 14 व 15 की ओर से श्री श्याम कुमार व्यास अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट सं. 9 से 11 व 13 के तारीख पेशी 07.12.2020 के सम्मन रजि. ए.डी. के जारी किया गया, जिसकी अवधि 30 दिन से अधिक हो जाने के कारण उनकी तामील पर्याप्त मानी गई, जो बावजूद सूचना के न्यायालय मे अनुपस्थित रहे है तथा रेस्पोडेन्ट सं. 17 की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांट्स ने अपनी अपील के समर्थन में नामान्तरकरण सं. 318 दिनांक 05.04.18 की फोटोप्रति, विरासत प्रमाण की फोटोप्रति तथा ग्राम बुटाटी के जमाबंदी (खतौनी) संवत 2066 से 2085 की फोटोप्रति पेश की गई तथा रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 8, 12, 14 व 15 की ओर से न्यायालय सहायक कलक्टर डेगाना के प्रकरण सं. 26/99 रूकमणी बनाम आशाराम मे पारित निर्णय दिनांक 05.05.03 की फोटोप्रति, न्यायालय जिला कलक्टर नागौर के प्रकरण सं. 98/2015 परशुराम बनाम जोरादेवी मे पारित निर्णय दिनांक 16.06.2016 की फोटोप्रति तथा सहायक कलक्टर डेगाना के प्रकरण सं. 21/14 परसाराम बनाम रूकमणी देवी मे पारित निर्णय दिनांक 23.01.17 की फोटोप्रति पेश की।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु

अपर कलक्टर, नागौर

पर बताया गया कि अपीलांट सं. 1 स्व. चन्द्राराम की पत्नी है तथा अपीलांट सं. 2 रूकमणी स्व. चन्द्राराम की पुत्री है। स्व. चन्द्राराम के सगे भाई आसाराम, हरलाल एवं शकरलाल पुत्रगण उरजाराम जाति जाट निवासीगण ग्राम बुटाटी के रहते चले आये है। जिनमे से आसाराम व हरलाल का देहान्त हो जाने से उनके विरासत का म्यूटेशन नं. 318 दिनांक 05.04.18 को स्वीकृत होने पर आसाराम व हरलाल के उतराधिकारीगण रेस्पोडेन्टान सं. 1 से 14 व 16 दर्ज होने से पक्षकार बनाया गया है तथा चन्द्राराम का भाई शंकरलाल जीवित है जो रेस्पोडेन्ट सं. 15 दर्ज किया गया है। स्व. चन्द्राराम के व उसके भाईयो आशाराम, हरलाल, शंकरलाल के सहखातेदारी के खेताय हाल खसरा नं. 128 रकबा 2.23 हैक्ट., खसरा नं. 129 रकबा 3.07 हैक्ट., खसरा नं. 242 रकबा 2.49 हैक्ट., खसरा नं. 244 रकबा 3.62 हैक्ट., खसरा नं. 400 रकबा 0.80 हैक्ट., खसरा नं. 404 रकबा 2.66 हैक्ट. तथा खसरा नं. 457 रकबा 6.09 हैक्ट. कुल रकबा 20.96 हैक्ट. भूमि के सहखातेदारी मे जमाबंदी संवत 2066 से 85 के अनुसार ग्राम बुटाटी के पुश्तेनी समय के कब्जा काश्त मे रहे। नकल जमाबंदी संवत 2010 से 2013 के अनुसार उक्त साबिका खेताय के खसरा नं. 102, 103, 307, 310, 352, 181, 183 कुल सात खेताय का रकबा 129.10 बीघा मौजा बुटाटी का रहा जो भू प्रबन्ध विभाग की जमाबंदी संवत 2008 से 2027 तक मे दर्ज होते रहे। इस प्रकार उक्त तमाम खेताय पुश्तेनी कब्जा काश्त के रहे है। अपीलांट सं. 2 रूकमणी ने जरिये आम मुख्त्यार चन्द्राराम के एक राजस्व वाद सं. 26/99 अनवान रूकमणी बनाम आशाराम का पेश किया गया जो सहायक कलक्टर एसडीओ डेगाना द्वारा दिनांक 05.05.03 को सुनवाई का मेरिट पर निर्णय व डिक्री किया गया जिसका म्यूटेशन नं. 66 दिनांक 07.07.15 को राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद हेतु दर्ज किया गया जो वर्तमान मे प्रभावी है। उक्त म्यूटेशन नं. 66 के अनुसार हाल खसरा नं. 400 रकबा 0.8000 हैक्ट., खसरा नं. 404 रकबा 2.6600 हैक्ट. खसरा नं. 457/1 रकबा 1.5200 हैक्ट. कुल खसरा तीन रकबा 4.9800 हैक्ट. की खातेदारी रूकमणी पुत्री चन्द्राराम पत्नी गोपाल, शारदा बाई पत्नी चन्द्राराम कौम जाट निवासी बुटाटी के नाम स्वीकृत कर जमाबंदी मे दर्ज कर हक अधिकार स्थापित किये गये। तत्पश्चात एक राजस्व वाद सं. 36/13 अनवान रामलाल बनाम शंकरलाल का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डेगाना मे प्रस्तुत कर अपीलांटान को पक्षकार बनाये बिना ही तथा चन्द्राराम को लाऔलाद दर्शा कर न्यायालय मे गलत तथ्य दर्ज करते हुए गुमराह कर राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया, जिसके निर्णय व डिक्री का नामान्तरकरण सं. 318 दिनांक 05.04.18 का स्वीकृत कर अपीलांटान का नाम उक्त खेताय खसरा नं. 400, 404, 457/1 मौजा बुटाटी से खातेदारी हक अधिकार समाप्त कर दिये गये व म्यूटेशन सं. 66 की अपील भी परशुराम बनाम जोरादेवी मु.नं. 98/15 की न्यायालय जिला कलक्टर नागौर मे प्रस्तुत की गयी। जो दिनांक 13.06.16 को नायब तहसीलदार सांजू को रिमाण्ड कर पुनः उभयपक्षो को सुनवाई हेतु प्रेषित की, जिसमे भी अपीलांटान को कोई सुनवाई का नैसर्गिक न्याय हेतु विधिक रूप से सुनवाई हेतु कोई सूचना नही दी व एकपक्षीय रूप से नामान्तरकरण सं. दर्ज कर अपीलांटान का नाम खातेदारी अधिकार से हटा दिया गया, जिसकी जानकारी दिनांक 03.09.19 को होने पर नकले प्राप्त कर अपील जानकारी से अंदर मियाद पेश की गई। जिसे अंदर मियाद शुमार करना न्याय संगत है। अपीलांट्स द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन मे शपथ पत्र तस्दीकसुदा प्रस्तुत किया गया है। जो माकूल आधार पर प्रतीत होता है। अतः अपीलांट्स की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। अंतिम बहस शुरू करते हुए वकील अपीलांट्स ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय के सामान्य सिद्वान्तो की अवहेलना कर म्यूटेशन जैर अपील दर्ज करने मे कानूनी व वाक्याति भूल की है। जिससे अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

{2}(II)–अपीलांटान उरजाराम पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी ग्राम बुटाटी की उतराधिकारी है। जिनका वादग्रस्त तमाम खेताय मे 1/4 हिस्सा निहित है, जिससे उरजाराम के चारो पुत्र आशाराम, हरलाल, चन्द्राराम व शंकरलाल का 1/4–1/4 हक हिस्सा समान रूप से होने के कारण राजस्व न्यायालय एसडीओ डेगाना द्वारा राजस्व वाद सं. 26/99 निर्णय व डिक्री दिनांक 05.05.2003 को मेरिट पर सुनवाई कर हक हिस्सा रेग्यूलर वाद द्वारा तय किया जा चुका है, जिसकी अपील वगैरा कुछ नही करके म्यूटेशन नं. 66 दिनांक 7.7.15 की म्यूटेशन अपील कर विधि विरूद्व रूप से चन्द्राराम को लाऔलाद दर्शा कर झूठे सरपंच के प्रमाण पत्र के आधार पर म्यूटेशन नं. 66 को अवैध दर्शा कर विधिक रूप से चन्द्राराम के विधिक वारिसान कोई है, अथवा नही, की जांच बाबत प्रकरण रिमाण्ड किया, जिसमे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सूचना दिये बिना एकपक्षीय रूप से कार्यवाही कर नया म्यूटेशन स्वीकृत कर दिया, जिससे यह अपील स्वीकार कर अधीनस्थ

अपर कलक्टर, नागौर

न्यायालय का म्यूटेशन खारिज किये जाने के है तथा म्यूटेशन नं. 66 निर्णय व डिक्री का यथावत रखा जाना है।

{2}(III)–अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व वाद सं. 26/99 की पालना मे म्यूटेशन नं. 66 स्वीकृत किया गया, राजस्व वाद सं. 26/99 मे अपीलांटान के नाम खातेदारी हाल खसरा नं. 400, 404, 457/1 की कुल भूमि 4.9800 हैक्ट. मौजा बुटाटी की घोषित की गयी। जिस निर्णय व डिक्री के विरूद्व अपील श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के समक्ष होकर निर्णय गुणावगुण पर किया जा सकता था मगर ऐसी कोई अपील नही की तथा अलग से एक आधारहीन दावा अनवान रामलाल बनाम शंकरलाल मु.नं. 36/13 एसडीओ डेगाना की अदालत मे प्रस्तुत कर अपीलांटान को पक्षकार बनाये बिना निर्णय करवा लिया जिससे अपीलांटान पाबंद भी नही है न ही बाध्य है। इसलिये निर्णय जैर अपील का म्यूटेशन नं. 318 दिनांक 05.04.18 व रिमाण्ड पत्रावली का म्यूटेशन अपास्त किया जाकर म्यूटेशन नं. 66 कोर्ट के निर्णय व डिक्री का वैध रूप से होने से बहाल रखा जाने हेतु उसके बाद के म्यूटेशन नं. 318 मौजा बुटाटी का अवैध होने से निरस्तनीय है।

{2}(IV)–रेस्पोडेन्ट नं. 1 से 14 व 16 ने आपसी षडयंत्र रच कर अपीलांटान को अपने हको से वंचित करने के आशय से सरपंच बुटाटी से मिलावट कर ग्राम पंचायत बुटाटी द्वारा चन्द्राराम उर्फ रामचन्द्र का उतराधिकार प्रमाण पत्र दिनांक 16.02.2013 का कूटरचना का जारी करवा कर चन्द्राराम का अविवाहित फौत होने का उल्लेख कर प्रस्तुत किया। जो अदालत को धोखे मे रख कर चन्द्राराम के कोई संतान नही थी, का उल्लेख कर म्यूटेशन जैर अपील नामान्तरकरण सं. 318 मौजा बुटाटी का स्वीकृत कराया, जबकि चन्द्राराम के विवाहित पत्नी अपीलांट नं. 1 शारदा व पुत्री अपीलांट सं. 2 रूकमणी है, इसलिये आज जीवित व्यक्तियो का अस्तित्व समाप्त कर कूटरचना के म्यूटेशन होने से म्यूटेशन नं. 318 मौजा बुटाटी निरस्तनीय है तथा अपने कथन के समर्थन मे आरआरडी 1984 पेज 271 से 273 नजीर पेश की।

{3}–रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 8, 12, 14 व 15 के अधिवक्ता ने अपनी बहस शुरू करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा ग्राम बुटाटी के नामान्तरकरण सं. 318 जो कि खातेदार चन्द्राराम के फौत होने पर विरासत का नामान्तरकरण दिनांक 05.04.2018 जो कि सरपंच ग्राम पंचायत बुटाटी द्वारा स्वीकृत किया गया है, से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा निर्णीत नामान्तरकरण की अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नही होकर उपखण्ड अधिकारी को है। जिससे क्षेत्राधिकार के अभाव मे नामान्तरकरण अपील चलने योग्य नही है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डेगाना के राजस्व वाद सं. 26/99 रूकमणी देवी बनाम आसाराम अधीन धारा 53, 188, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मे निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.05.03 के अनुसार अपीलांटस के पिता चन्द्राराम को खसरा नं. 307 रकबा 4.09 बीघा, खसरा नं. 310 रकबा 16.01 बीघा व खसरा नं. 352 रकबा 37.12 बीघा मे से 1/4 हिस्सा रकबा 9.08 बीघा का खातेदार घोषित किया गया था। जिस पर ग्राम बुटाटी के नामान्तरकरण सं. 66 दिनांक 07.07.2015 को अपीलांट सं. 1 व 2 शारदा व रूकमणी के नाम स्वीकृत किया। जिसके विरूद्व न्यायालय जिला कलक्टर नागौर मे नामान्तरकरण अपील सं. 98/15 परसुराम बनाम जोरादेवी प्रस्तुत हुई। जिसके निर्णय दिनांक 16.06.2016 के अनुसार नामान्तरकरण सं. 66 मे पारित आदेश दिनांक 07.07.15 निरस्त करते हुए सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) डेगाना के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.05.2003 एवं उक्त न्यायालय मे विचाराधीन वाद सं. 36/13 रामलाल बनाम शंकरलाल के संदर्भ मे विधि अनुसार कार्यवाही हेतु रिमाण्ड किया गया है। इसी दौरान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर डेगाना के प्रार्थना पत्र सं. 21/2014 परसाराम बनाम रूकमणी देवी मे निर्णय दिनांक 23.01.17 प्रार्थना पत्र आदेश 9, नियम 13 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत वाद सं. 26/99 रूकमणी बनाम आसाराम मे पूर्व मे पारित आदेश एवं डिक्री दिनांक 05.05.2003 अपास्त कर वाद पुनः सुनवाई पर लिये जाने के आदेश पारित हुए। नामान्तरकरण जैर अपील वाद सं. 36/13 रामलाल बनाम शंकरलाल के निर्णय मे नही भरा गया है बल्कि खातेदार चन्द्राराम फौत होने पर उसके वारिसान के नाम भरा गया है। जो विधिसम्मत होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}–राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि नामान्तरकरण जैर अपील खातेदार की मृत्यु होने पर विरासत का भरा गया है। जो ग्राम पंचायत द्वारा उसके क्षेत्राधिकार के तहत ही निर्णीत किया गया है। जो विधिसम्मत है।

अपर कलक्टर, नागौर

{5}—उभय पक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में मौजा बुटाटी के नामान्तरकरण सं. 318 दिनांक 05.04.2018 की स्वीकृति से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त नामान्तरकरण खातेदार चन्द्राराम फौत होने पर उसके वारिसान के नाम खोला गया है। जो सरपंच ग्राम पंचायत बुटाटी द्वारा स्वीकृत किया गया है। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा निर्णीत नामान्तरकरण की अपील उपखण्ड अधिकारी को की जानी चाहिये। इसलिये प्रथमतः अपीलांट की अपील इस न्यायालय की सुनवाई क्षेत्राधिकार की नही होने से चलने योग्य नही है। जहां तक नामान्तरकरण जैर अपील विरासत के आधार पर भरा गया है, जहां न्यायालय सहायक कलक्टर डेगाना के वाद सं. 36/2013 रामलाल बनाम शंकरलाल के निर्णय के आधार पर भरा गया हो, ऐसा दस्तावेजी आधार पर साबित नही है। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिस्कल कार्यवाही है। जहां पक्षकारो के स्वत्व अधिकार निर्णीत नही किये जा सकते है। स्वत्व निर्धारण हेतु नियमित न्यायालय मे चाराजोही की जानी चाहिये।

{6}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपील क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर चलने योग्य नही होने एवं ठोस आधारो पर नही होने से खारिज की जाती है।

{7}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर